


उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 5807 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 28-116-99-16-ए, दिनांक 04 सितम्बर 2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितम्बर 2000 में प्रकाशित) एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2012/16, दिनांक 02.11.2012 (राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर 2012) के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2015 से 30.09.2016 तक देय रहेगा।



(डॉ. जितेन कुमार)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी  
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
छत्तीसगढ़, रायपुर